पत्र क्रमांक: GDA/MP/Misc/124

दिनांक: 11-09-2026


**अंतरिम कार्यकारिणी**

**अध्यक्ष**
Dr. Ramkrishna Choudhary

**उपाध्यक्ष**
Dr. Vikas Malviya

**सचिव**
Dr. Sonali Thakre

**कोषाध्यक्ष**
Dr. Saurav Kumar

**संयुक्त सचिव**
Dr. Hemendra Chauhan

**सदस्यगण**

- Dr. Lokesh Barwal
- Dr. Pankaj Kumar Budholiya
- Dr. Rukmani Gulharia
- Dr. Sharad Sahu
- Dr. Suryakant Sharma
- Dr. Sachin Kumar Malaiya
- Dr. Vishal Shukla
- Dr. Yogesh Neekhra
- Dr. Yogesh Kaurav

**मध्य प्रदेश**
**शासकीय चिकित्सक संघ**


**प्रति,**
**माननीय मुख्यमंत्री महोदय,**
**मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।**

**विषय: माननीय विधायक श्री अभय मिश्रा द्वारा पोस्टमार्टम प्रक्रिया एवं चिकित्सक समुदाय के संबंध में दिए गए अत्यंत आपत्तिजनक एवं अप्रमाणित वक्तव्य के संबंध में।**

महोदय,

Madhya Pradesh Government Doctors' Association (MPGDA), मध्यप्रदेश के शासकीय चिकित्सक समुदाय की ओर से माननीय विधायक श्री अभय मिश्रा द्वारा पोस्टमार्टम प्रक्रिया एवं चिकित्सकों के संबंध में दिए गए हालिया सार्वजनिक वक्तव्य पर अपनी गहरी पीड़ा, तीव्र आपत्ति एवं कठोर निंदा व्यक्त करता है।

पोस्टमार्टम एक अत्यंत संवेदनशील, वैज्ञानिक और विधिक प्रक्रिया है, जिसमें मृतक की गरिमा, परिवार की संवेदनाएँ, न्यायिक प्रक्रिया और चिकित्सकीय निष्पक्षता जुड़ी होती है। ऐसे में बिना प्रमाण के महिला मृतदेह के साथ यौन अपराध जैसे गंभीर आरोप सार्वजनिक रूप से लगाया जाना पूरे forensic एवं चिकित्सक समुदाय की नैतिकता और पेशेवर गरिमा पर गंभीर आघात है।

किसी अस्पताल की व्यवस्था पर प्रश्न उठाना या जांच की मांग करना लोकतांत्रिक अधिकार है, परंतु बिना प्रमाण संपूर्ण चिकित्सकीय व्यवस्था को इस प्रकार के घृणित अपराध से जोड़ देना न तो जिम्मेदार सार्वजनिक आचरण है और न ही स्वीकार्य राजनीतिक संवाद।

यदि आरोपों के समर्थन में तथ्य उपलब्ध हैं, तो निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। लेकिन यदि ऐसे गंभीर आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं, तो संबंधित जनप्रतिनिधि से सार्वजनिक रूप से अपना वक्तव्य वापस लेने तथा चिकित्सक समुदाय से क्षमा व्यक्त करने की अपेक्षा की जानी चाहिए।

इस प्रकार के अप्रमाणित वक्तव्य न केवल चिकित्सकों की प्रतिष्ठा को प्रभावित करते हैं, बल्कि डॉक्टर-रोगी विश्वास, अस्पतालों की कार्यसंस्कृति और medico-legal व्यवस्था की विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुँचाते हैं।

MPGDA स्पष्ट करना चाहता है कि चिकित्सक जांच, जवाबदेही या आलोचना से नहीं डरते**,** परंतु बिना प्रमाण उनके पेशे और चरित्र को सार्वजनिक रूप से कलंकित किया जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अतः आपसे निवेदन है कि इस विषय का गंभीर संज्ञान लेते हुए तथ्यात्मक जांच कराई जाए तथा चिकित्सक समुदाय और medico-legal professionals की गरिमा एवं संस्थागत प्रतिष्ठा की रक्षा हेतु स्पष्ट संदेश दिया जाए।

**चिकित्सकों की गरिमा पर आघात होगा, तो हम तथ्य, संविधान और मर्यादा के साथ अपनी आवाज दृढ़ता से उठाएँगे।**

सादर,
**Madhya Pradesh Government Doctors' Association (MPGDA)**
मध्यप्रदेश

**सादर,**

**अध्यक्ष**
**Madhya Pradesh Government Doctors' Association**
**मध्यप्रदेश**

**महासचिव**
**Madhya Pradesh Government Doctors' Association**
**मध्यप्रदेश**

**प्रतिलिपि:**

1. माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
2. माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी।